प्रेस नोट

दिनांक 29.07.2021

थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा मोबाईल फोन चोरी की घटनाओं में संलिप्त 02 शातिर बदमाश विभिन्न थानाक्षेत्रों से चोरी किये गये 06 मोबाईल फोन, नाजायज गांजा व एक एफजैड मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री सन्तोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार जनपद में मोबाईल फोन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने व अपराधियों को पकडने के लिये चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी अनूपशहर श्री रमेश चन्द त्रिपाठी के निकट पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 29.07.2021 प्रभारी निरीक्षक जहांगीराबाद श्री छोटे सिह मय चौकी प्रभारी ग्यारह मील मय फोर्स द्वारा तलाश वांछित अपराधी गश्त व चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मोबाईल चोरी की घटनाओं में संलिप्त दो शातिर अपराधियों को चांदौक चौराहे से समय करीब 14.30 बजे विभिन्न थानाक्षेत्रों से चोरी किये गये 06 मोबाईल फोन, अवैध गांजा व एक मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. अमजद पुत्र अलाउदीन निवासी मौहल्ला करीमनगर गली नं0 17, थाना नौचंदी जनपद मेरठ।
2. समीर पुत्र साजिद निवासी उपरोक्त।

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी किए गये 06 मोबाईल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के
2. 2.200 किलोग्राम नाजायज गांजा
3. एक मोटर साईकिल यामाह एफजैड-यूपी-15डीएल-8957

उल्लेखनीय है कि दोनों अभियुक्त समीर व अमजद शातिर किस्म के अपराधी/चोर है। दोनों अभियुक्तों द्वारा दिनांक 28.07.2021 को थाना जहांगीराबाद क्षेत्रांतर्गत उमादेव इण्टर के पास कस्बा जहांगीराबाद एवं आरसी फार्म हाउस कस्बा जहांगीराबाद से दो अलग-अलग युवकों के 02 मोबाईल फोन चोरी किए गये है जिनके संबंध में थाना जहांगीराबाद पर क्रमशः मुअसं-576/21 धारा 379/411 भादवि एवं मुअसं-577/21 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त 02 मोबाईल फोन बुलन्दशहर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र एवं 01 मोबाईल फोन थाना शिकारपुर क्षेत्र से चोरी करने की स्वीकारोक्ति की गयी है जिनके बारे में भी संबंधित थानों से जानकारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा करीब 8-10 मोबाईल फोन पूर्व में जनपद मेरठ के नगर व देहात क्षेत्र से चोरी करने की भी स्वीकारोक्ति की गयी है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जहांगीराबाद पर मु0अ0सं0-579/21 धारा 411/414 भादवि व मु0अ0सं0-580 व 581/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।